



2026:AHC.9241

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 19780 वर्ष 2025

श्रीमती जावित्री

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं 8 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : सर्वजीत सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सर्वजीत सिंह और राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य शासकीय अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव को सुना गया।
2. मुख्य रूप से, इस रिट याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी, बदायूँ द्वारा दिनांक 21.11.2025 को पारित उस आदेश को निरस्त कर दिया जाए, जिसके द्वारा रिट याचिकाकर्ता का आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में चयन/नियुक्ति इस आधार पर निरस्त कर दी गई थी कि उसका आय प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है।
3. न्यायालय की राय में, रिट याचिकाकर्ता का चयन/नियुक्ति इस आधार पर निरस्त कर दी गई है कि आय प्रमाण पत्र पहले ही निरस्त किया जा चुका है; अतः, आय प्रमाण पत्र को चुनौती देना रिट याचिकाकर्ता का दायित्व है।
4. तदनुसार, इस रिट याचिका का निस्तारण इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि रिट याचिकाकर्ता के लिए यह विकल्प रहेगा कि वह आय प्रमाण पत्र को निरस्त करवाने के लिए विधि के तहत उचित कार्यवाही का सहारा ले, और उस कार्यवाही के परिणाम के बाद, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



चयन/नियुक्ति को निरस्त किए जाने को चुनौती देने के लिए इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करें।

जनवरी 14, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated Version. Not for Legal Use.